रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 1972/ज्येष्ठ 4, 1894

No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1972/JYAISTHA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th May 1972

G.S.R. 285(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 70(E) dated the 3rd February, 1972, namely:—

In the Schedule to the said notification,—in the entries against serial number 15 relating to the State of Orissa, in column (2), for item 2, the following item shall be substituted, namely:—

"2. Deputy Secretary to the Government of Orissa Home (Passport) Department. Bhubaneshwar."

[No. VI/401/53/71.]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिली, 25 मई, 1972

सा०का०नि० 285(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस के द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना

सं० जी० एस० आर० 70(इ) दिनांक 3 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , ——

क्रम सं० 15 की प्रविष्टियों, जिनका सम्बन्ध उड़ीसा राज्य से है, के कालम (2) के मत 2, के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, यथा :—

"2. उपसचिव, उड़ीसा सरकार,
गृह (पासपोर्ट) विभाग, भुवनेश्वर ।

[सं० VI/401/53/71.]

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 21 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 70(E), dated the 3rd February, 1972, the Central Government hereby directs that the powers and functions which may be exercised and performed by it under the said Act, other than the power under clause (d) of sub-section (1) of section 6, the power under clause (i) of sub-section (2) of that section and the power under section 24, shall, in relation to the issue of Certificates for travel between India and Bangladesh to the citizens of India, be exercised also by the passport authorities specified below:—

(1) Regional Passport Officer, Calcutta.
(2) Regional Passport Officer, Bombay.
(3) Regional Passport Officer, Ahmedabad.
(4) Regional Passport Officer, Madras.
(5) Regional Passport Officer, Lucknow.
(6) Regional Passport Officer, Chandigarh.
(7) Regional Passport Officer, Delhi.

[No. VI/401/53/71.]
AVTAR SINGH, Secy.

सा० का० नि० 286(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी एस आर 70(ई) दिनांक 3 फरवरी, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इस के द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों अथवा धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का छोड़ कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वह स्वयं जिन अधिकारों का प्रयोग करती है और जो कार्य करती है, उन अधिकारों का प्रयोग अथवा वे कार्य जहां तक उन का सम्बन्ध भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के लिए भारत के नागरिकों को प्रमाणपत्र जारी करने से है, उस के अतिरिक्त निम्नलिखित पासपोर्ट अधिकारी भी कर सकेंगे :—

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कलकत्ता ।
2. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बम्बई ।
3. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद ।
4. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास ।
5. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ ।
6. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चण्डीगढ़ ।
7. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली ।

[सं० VI/401/53/71.]
अवतार सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972